

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प. 4(94)नविवि/2024-11114

जयपुर, दिनांक: यथा हस्ताक्षरित

—:आदेश:—

राजस्थान अभियान्त्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1954 (उक्त नियमों को नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) के अभियन्ताओं पर आज्ञा दिनांक प. 1(1)नविआ/II/1981 दिनांक 28.02.1997 द्वारा प्रभावी किया गया है) के नियम 24-ए के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.05.2025 की अभिशंषानुसार निम्नांकित कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमाधारी) को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध सहायक अभियन्ता के पद पर पे मैट्रिक्स लेवल-14 में एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है:—

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री)	वर्ग	चयन वर्ष	रिक्ति दिनांक
1.	विभय माथुर		2022-2023	01.04.2022
2.	दिनेश कुमार वर्मा	SC	2022-2023	01.01.2023
3.	राधेश्याम		2023-2024	01.04.2023
4.	लालचन्द मटोरिया		2023-2024	01.04.2023
5.	रवीश श्रीवास्तव		2023-2024	01.04.2023
6.	हरिमोहन प्रजापति		2023-2024	01.04.2023
7.	कुमार सम्भव अवस्थी		2024-2025	01.04.2024
8.	प्रबोध माथुर		2024-2025	01.04.2024
9.	विष्णुदत्त व्यास		2024-2025	01.04.2024
10.	राजेश व्यास		2024-2025	01.04.2024
11.	संजय बोरा		2024-2025	01.04.2024
12.	रविदत्त कल्ला		2024-2025	01.04.2024
13.	मुकेश पुरोहित		2024-2025	01.04.2024
14.	विशाल राजपुरोहित		2024-2025	01.07.2024
15.	जितेन्द्र मेवाडा		2024-2025	01.08.2024
16.	अरूण कुमार व्यास		2024-2025	01.01.2025

उपरोक्त अभियन्ताओं की पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति दिनांक से प्रभावी होगी, लेकिन वास्तविक नकद वेतन का परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। उक्त अभियन्ता अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राकेश कुमार- I)
शासन उप सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त/सचिव समस्त न्यास/प्राधिकरण।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सहायक निदेशक, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
6. संबंधित अधिकारीगणों को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

शासन उप सचिव-तृतीय